

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/1732

Jabalpur, dated 04.5.2016.

The copies of the Notifications of the Government of M.P. F.No.17(E)44/2013/21-B(1)1401/2016, Bhopal, dated 03.5.2016 and F.No.17(E)/44/2013/21-B(One)1512/2016, Bhopal, dated 03.5.2016 as per the provisions of Section 22(1) of the National Investigation Agency Act, 2008 forwarded to;

1. The Principal Secretary, Government of M.P. Department of Law and Legislative Affairs, Bhopal for information,
2. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
3. The P.S. of the Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information of the Registrar General,
4. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
5. The District and Sessions Judges (All in the State) for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer.
7. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
8. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

Vivek Saxena
04.5.2016
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक मई, 2016

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)/1401/2016,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या समस्त अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के विचारण के लिए नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय गठित करती है। उक्त न्यायालय की अध्यक्षता उसके (सारणी के) कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, अर्थात:-

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
4.	भिण्ड	श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
7.	छिदवाडा	श्री दीपेश कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
9.	दतिया	श्री तारकेश्वर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया
10.	देवास	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, देवास
11.	धार	डॉ. जे.सी.सुनहरे, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धार
15.	हरदा	श्री राजेश कुमार कोष्टा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा
16.	होशंगाबाद	श्री आर.जी.कोठे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद
17.	इंदौर	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर
18.	जबलपुर	श्री आर.आर.बड़ोदिया, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर
20.	कटनी	श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम कटनी
22.	मंदसौर	श्री विमल प्रकाश, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर

11211

23.	मुरैना	श्री बी.एस.भदौरिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना
30.	रीवा	श्री गोपाल श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा
32.	सतना	श्रीमती विभावरी जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सतना
33.	सीहोर	श्री श्यामकांत कुलकर्णी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर
36.	शाजापुर	श्री राजकुमार भावे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर
37.	श्योपुर	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर
39.	सीधी	श्री लीलाधर बौरासी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीधी
42.	उज्जैन	श्री ओमकारनाथ, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन
50.	उमरिया	श्री एस.सी.पाल, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-N0 -B(1) 3476/2013/1401/2016, -In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government In consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, constitute the Special Courts specified in column (2) of the table below, for the trial of offences under any or all the enactment specified in the schedule of the said Act and the said court shall be presided by the Judge specified in column (3) thereof, Namely:-

S.No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
4.	Bhind	Shri Kuldeep Jain, II nd Additional Session Judge, Bhind
7.	Chhindwara	Shri Deepak Kumar Tiwari, II nd Additional Session Judge, Chhindwara
9.	Datia	Shri Tarkeshwar Singh, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Datia
10.	Dewas	Shri Prem Chandra Sharma, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dewas
11.	Dhar	Shri J.C.Sunahare, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Dhar
15.	Harda	Shri Rajesh Kumar Koshta, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Harda
16.	Hoshangabad	Shri R.G.Kothe, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Hoshangabad

//3//

17.	Indore	Shri Binod Kumar Dwivedi, XVII th Additional Session Judge, Indore
18.	Jabalpur	Shri R.R.Badodia, XII th Additional Sessions Judge, Jabalpur
20.	Katni	Shri Arvind Kumar Shukla, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Katni
22.	Mandsaur	Shri Vimal Prakash, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Mandsaur
23.	Morena	Shri B.S.Bhadoria, Additional Sessions Judge, Morena
30.	Rewa	Shri Gopal Shrivastava, II nd Additional Sessions Judge, Rewa
32.	Satna	Smt. Vibhawari Joshi, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Satna
33.	Schore	Shri Shyamkant Kurkarni, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Schore
36.	Shajapur	Shri Rajkumar Bhave, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act. Shajapur
37.	Sheopur	Shri Akshaya Kumar Dwivedi, II nd Additional Sessions Judge, Sheopur
39.	Sidhi	Shri Liladhar Borasi, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Sidhi
42.	Ujjain	Shri Omkarnath, Additional Sessions Judge, Ujjain
50.	Umaria	Shri S.C.Pal, I st Additional Sessions Judge, Umaria.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

//4//

पृ.क्रमांक17(ई) 44 / 2013 / 21-ब(एक) / 1401 / 2016, भोपाल, दिनांक 3 मई, 2016
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक बी / 1557, दिनांक 10 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, मुरैना, रीवा, सतना, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, सीधी, उज्जैन एवं उमरिया, म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।



(आर.के.वाणी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक मई, 2016

फा.क्रमांक 17(ई) 44/2013/21-ब(एक)/1512/16.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5 एवं 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
5.	भोपाल	श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल
8.	दमोह	श्री बी.आर.पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दमोह

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-No. 17(E)/44/2013/21-B(One)1512/2016,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 5 and 8 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

1/211

S.No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
5.	Bhopal	Smt. Anuradha Shukla , XVI th Additional Sessions Judge, Bhopal
8.	Damoh	Shri B.B.Patil, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Damoh."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र.17(ई) 44/2013/21-ब(एक) 1512/16, भोपाल, दिनांक...? मई,2016
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर, की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक ए/1180, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में,
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
3. सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल एवं दमोह, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर.के.वर्णा) 21/5/16

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग